



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092021-230038
CG-DL-E-29092021-230038

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 294]
No. 294]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 28, 2021/आश्विन 6, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 28, 2021/ASVINA 6, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2021

मामला सं. (एडीडी – ओआई – 37/2020)

विषय : सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये “इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न” के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच – के संबंध में।

सं. 06/44/2020 –डी जी टी आर.—सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया है और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली 1995 जिसे समय समय पर संशोधित किया गया है, को ध्यान में रखकर :

क. मामले की पृष्ठभूमि

2. मै. इण्डोरामा इंडस्ट्रीज लिमि. (जिसे आगे आवेदक अथवा घरेलू उद्योग भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी

समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली अथवा पाटनरोधी नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से सिंगापुर “जिसे आंग संबद्ध देश भी कहा गया है” के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये “इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न” (जिसे आगे ‘संबद्ध वस्तु’ अथवा विचाराधीन उत्पाद अथवा ‘पी यू सी’ भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष आवेदन दायर किया था।

3. आवेदक ने यह तर्क देते हुए पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया गया सिंगापुर में उत्पादक इस उत्पाद का पाटन कर रहे हैं और उसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। प्राधिकारी ने विधिवत दस्तावेज वाली याचिका के आधार पर और आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य की पर्याप्त प्रथम दृष्टया जांच के बाद सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि जिसे अगर लगाया गया तो घरेलू उद्योग को कथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी की सिफारिश करने के लिए इस नियमावली के नियम 5 के अनुसार जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 30.09.2020 की अधिसूचना सं. 6/44/2020 – डी जी टी आर के संदर्भ में एक आम सूचना जारी की।

ख. प्रक्रिया

4. इसमें वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के संबंध में किया गया है :
 - क. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 उप नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने की कार्यवाही करने के पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन के प्राप्त होने के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
 - ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30.09.2020 की आम सूचना सं. 6/44/2020 – डी जी टी आर जारी किया।
 - ग. भारत में संबद्ध देश के दूतावास को इस नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार जांच की शुरुआत के बारे में सूचना दी गई थी। प्राधिकारी ने भारत में इसके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार को, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये पते के अनुसार घरेलू उद्योग और अन्य घरेलू उत्पादकों को जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत करायें।
 - घ. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में इसके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार और ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलब्ध कराई।
 - ङ. इसके साथ ही, सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डी जी टी आर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति भी सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराई गई थी और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जहां कहीं भी अनुरोध किया गया उपलब्ध कराया गया था। हालांकि, सभी से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उनके अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर ई-मेल करें क्योंकि सार्वजनिक फाइल जारी वैश्विक कोविड-19 महामारी के कारण भौतिक संचालन पर प्रतिबंधों के कारण भौतिक रूप से प्राप्त करने योग्य नहीं था।
 - च. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं, अन्य भारतीय उत्पादकों और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये पते के अनुसार घरेलू उद्योग को सूचना

की प्रति भी अग्रेषित की और उनसे अनुरोध किया कि वे जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना के 30 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत करायें।

- छ. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देश के निर्यातकों/ उत्पादकों को सलाह दें। उत्पादकों/ निर्यातकों को भेजे गये पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों के नाम और पते के साथ उन्हें भेजी गई थी।
- ज. प्राधिकारी ने इस नियम के 6(4) के अनुसार मैसर्स इनवेस्टा सिंगापुर, सिंगापुर के ज्ञात उत्पादक/ निर्यातक को निर्यातक की प्रश्नावली भेजी।
- झ. निर्यातक की प्रश्नावली का कोई उत्तर संबद्ध देश के किसी निर्यातक/ उत्पादक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- ञ. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं/ संघों को आयातक की प्रश्नावली भेजी :
 - i. औरो स्पनिंग मिल्स
 - ii. आरवी डेनिम्स एंड एक्सपोर्ट लिमि.
 - iii. अग्रवाल मेटल इंडस्ट्रीज
 - iv. आलोक इंडस्ट्रीज लिमि.
 - v. बी एस टी टेक्सटाइल मिल्स प्रा. लिमि.
 - vi. बलाउमन इंडस्ट्रीज प्रा. लिमि.
 - vii. नाम : बॉम्बे रेयॉन फेशन्स लिमि.
 - viii. नाम : दीपक इम्पेक्स प्रा. लिमि.
 - ix. कंफेडरेशन ऑफ इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री (सी आई टी आई)
 - x. इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन (आई एस ए)
 - xi. इंडियन वूलन मिल्स फेडरेशन
 - xii. फेडरेशन ऑफ इंडियन आर्ट सिल्क वेविंग इंडस्ट्री
- ट. किसी भी आयातक/ प्रयोक्ता द्वारा प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अलावा, किसी संघ से भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
- ठ. केवल वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमि. ने विधिक अनुरोध प्रस्तुत किये।
- ड. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका का अगोपनीय रूपांतर रखा था।
- ढ. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से अनुरोध किया गया था कि वे पिछले तीन वर्षों तथा जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों का लेन देन वार ब्यौरा उपलब्ध करायें, जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गया था। प्राधिकारी ने लेनदेन की उचित जांच के बाद आयातों का विश्लेषण और इसकी मात्रा के परिकलन के लिए डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- ण. क्षति रहित कीमत (एन आई पी) का निर्धारण सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जी ए ए पी) और इस नियमावली के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं का निर्माण करने और उसकी बिक्री करने की लागत

- तथा उत्पादन की लागत के आधार पर किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- त. घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का डेस्क सत्यापन उस सीमा तक प्राधिकारी द्वारा किया गया था जिस सीमा तक उसे आवश्यक माना गया। जहां कहीं भी लागू हुआ आवश्यक संशोधन के साथ केवल ऐसी सत्यापित सूचना पर अंतिम जांच के उद्देश्य से विश्वास किया गया है।
- थ. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पी ओ आई) 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 (12 महीने) है। हालांकि, जांच के अधीन क्षति की अवधि में अप्रैल, 2016 से मार्च 2017, अप्रैल 2017 से मार्च 2018, अप्रैल 2018 से मार्च 2019 और जांच की अवधि (पी ओ आई) शामिल होगी।
- द. इस नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 02.06.2021 को आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अवसर भी उपलब्ध कराया। केवल घरेलू उद्योग ने मौखिक सुनवाई में भाग लिया। घरेलू उद्योग से अनुरोध किया गया था कि वे लिखित अनुरोध और उसके बाद प्रतिउत्तर, यदि कोई हो, प्रस्तुत करें।
- ध. गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता की जांच के संबंध में गोपनीयता के आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने, जहां भी जरूरी था, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना पर गोपनीय के रूप में विचार किया गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी जरूरी था, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
- न. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने इस वर्तमान जांच की अवधि के दौरान अनिवार्य सूचना जुटाने से मना किया है या सूचना प्रदान करने से मना किया या जांच में अत्यधिक हस्तक्षेप किया है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अंतिम जांच परिणाम दर्ज किए हैं।
- प. नियमावली के अनुसरण में, प्राधिकारी ने मामले के अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन किया जो 26.08.2021 को प्रकटन विवरण के रूप में अंतिम जांच परिणामों के आधार का निर्माण करेंगे और हितबद्ध पक्षकारों को इस पर टिप्पणी करने के लिए समय की अनुमति प्रदान की गई। हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों पर संगत समझे जाने की सीमा तक, प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है और इस अंतिम जांच परिणाम में उनका समाधान किया गया है।
- फ. इस अंतिम जांच परिणाम में *** गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और इस नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा वैसी मानी गई सूचना का द्योतक है।
- ब. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा लिया गया विनियम दर 1 यू एस डालर = 71.63 रुपए है।
- ग. **विचाराधीन उत्पाद (पी यू सी) और समान वस्तु**
5. जांच की शुरुआत के चरण में, विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था :
- "वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "सभी डेनियर्स के इलास्टोमरिक फिलामेंट यार्न" है। इन फिलामेंट यार्नों को सामान्य तौर पर स्पेनडेक्स अथवा इस्लाटेन भी कहा जाता है। संबद्ध वस्तुओं को डेनियर के संदर्भ में वर्णित किया जाता है और उनकी बिक्री सामान्य तौर पर 10 से 1680 डेनियर्स के दायरे में किया जाता है। घरेलू उद्योग के पास इन डेनियर के समग्र दायरे का उत्पादन करने की क्षमता है।*
- विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से निम्नलिखित उत्पादों को बाहर रखा गया है :*
- क) क्लरर्ड इलास्टोमरिक यार्न;
- ख) बीम पर इलास्टोमरिक यार्न;

ग) संबद्ध वस्तुओं जिसका "लाइक्रा@" के रूप में ब्राण्ड नाम है क्योंकि वह प्रक्रिया नियंत्रण शर्तों के अंतर्गत निर्मित एक विशिष्ट और उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला उत्पाद है जो पैटेंट से संरक्षित है। वाणिज्यिक तौर पर भी लाइक्रा की कीमत बाजार में उपलब्ध इलास्टोमरिक फिलामेंट यानों के अन्य ब्राण्डों की तुलना में अधिक है।

घ) इलास्टोमरिक फिलामेंट यार्न जिसका निर्माण डायपर जैसे स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं के लिए किया जाता है को विचाराधीन उत्पाद से भी बाहर रखा गया है।

ग. 1. घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

6. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में किये गये अनुरोध है प्राधिकारी द्वारा संगत माने गये अनुरोध निम्नानुसार हैं :

क. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "सभी डेनियर्स के इलास्टोमरिक फिलामेंट यार्न" है। इन फिलामेंट यानों को सामान्य तौर पर स्पेनडेक्स अथवा इस्लाटेन भी कहा जाता है। संबद्ध वस्तुओं को डेनियर के संदर्भ में वर्णित किया जाता है और उनकी बिक्री सामान्य तौर पर 10 से 1680 डेनियर्स के दायरे में किया जाता है। घरेलू उद्योग के पास इन डेनियर के समग्र दायरे का उत्पादन करने की क्षमता है। निम्नलिखित उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है :

क) बीम पर इलास्टोमरिक यार्न;

ख) संबद्ध वस्तुओं जिसका "लाइक्रा@" के रूप में ब्राण्ड नाम है क्योंकि वह प्रक्रिया नियंत्रण शर्तों के अंतर्गत निर्मित एक विशिष्ट और उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला उत्पाद है जो पैटेंट से संरक्षित है। वाणिज्यिक तौर पर भी लाइक्रा की कीमत बाजार में उपलब्ध इलास्टोमरिक फिलामेंट यानों के अन्य ब्राण्डों की तुलना में अधिक है।

ग) इलास्टोमरिक फिलामेंट यार्न जिसका निर्माण डायपर जैसे स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं के लिए किया जाता है को विचाराधीन उत्पाद से भी बाहर रखा गया है।

ख. संबद्ध उत्पादों का वर्गीकरण सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय शीर्षक 54 के अंतर्गत "मेन-मेड फिलामेंट; स्ट्रिप्स और मेन-मेड टेक्सटाइल मेटेरियल की तरह" वर्गीकृत किया गया है। 8-अंक के स्तर पर यह वर्गीकरण 54041100 है यद्यपि उसका सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के विभिन्न उपशीर्षों 5402, 5403 और 5404 के अंतर्गत वर्गीकरण और आयात किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और यह किसी भी प्रकार से उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है तथा विरोध की स्थितियों में उत्पाद का वर्णन ही लागू होता है।

ग. पी यू सी के आयातों पर मूल सीमा शुल्क क्षति की जांच की पूर्ण अवधि के लिए संबद्ध देश के लिए शून्य है।

घ. आवेदक द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयात की गई संबद्ध वस्तु समान वस्तु हैं। संबद्ध देश से आयात की गई संबद्ध वस्तु और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयात की गई संबद्ध वस्तु आवश्यक उत्पाद विशेषताओं जैसे इन वस्तुओं की भौतिक और रासायनिक विशेषताएं, निर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण के संबंध में तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का उपयोग कर सकते हैं और एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इस कारण से इन्हें इस निमयावली के अंतर्गत "समान वस्तु" के रूप में माना जाना चाहिए।

ग. 2. उत्पादकों/ निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

7. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में उत्पादकों/ निर्यातकों अथवा किसी अन्य पक्षकारों द्वारा केवल इस बात को छोड़कर कोई अनुरोध नहीं किया गया है कि वर्धमान टेक्सटाइल्स ने यह अनुरोध किया है कि चूंकि "लाइक्रा@" के रूप में ब्राण्ड नाम वाली संबद्ध वस्तुओं जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में पी यू सी के क्षेत्र से बाहर रखा गया है और उनके 'लाइक्रा@" ब्राण्ड का आयातक होने के कारण वे अनुरोध करते हैं कि 'लाइक्रा@" ब्राण्ड को बाहर रखा जाना चाहिए।

ग. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

8. प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र जिसे जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में परिभाषित किया गया है की पुष्टि करते हैं जिसे नीचे फिर से प्रस्तुत किया गया है।

"2. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "सभी डेनियर्स का इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न" है। संबद्ध वस्तुओं का विवरण डेनियर्स के मामले में उल्लेख किया गया है तथा उन्हें आमतौर पर 10 से 1680 डेनियर्स के रेंज में बेचा जाता है।

3. निम्नलिखित उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है :

- क. कलर्ड इलास्टोमेरिक यार्न;
- ख. बीम पर इलास्टोमेरिक यार्न;
- ग. संबद्ध वस्तुओं जिसका "लाइक्रा@" के रूप में ब्राण्ड नाम है क्योंकि वह प्रक्रिया नियंत्रण शर्तों के अंतर्गत निर्मित एक विशिष्ट और उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला उत्पाद है जो पेटेंट से संरक्षित है।
- घ. इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न जिसका निर्माण डायपर जैसे स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं के लिए किया जाता है को विचाराधीन उत्पाद से भी बाहर रखा गया है।

4. संबद्ध उत्पादों का वर्गीकरण सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय शीर्ष 54 के अंतर्गत किया गया है। 8-अंक के स्तर पर यह वर्गीकरण सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 का 54024400 और 54041100 है। सीमा शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और यह किसी भी प्रकार से उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

9. इसके अलावा, इस नियमावली के नियम 2 (घ) के संबंध में प्राधिकारी रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर यह मानते हैं कि सिंगापुर से निर्यात किये गये विचाराधीन उत्पाद और भारतीय घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किये गये उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। भारतीय घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किया गया विचाराधीन उत्पाद इन वस्तुओं की विशेषताओं जैसे भौतिक और रसायनिक विशेषताओं, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, वितरण एवं विपणन और टैरिफ वर्गीकरण के संबंध में आयात किये गये संबद्ध उत्पाद से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर कर रहे हैं।

10. इस प्रकार, प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किया गया उत्पाद इस नियमावली के अनुसार सिंगापुर से आयात किया गया विचाराधीन उत्पाद का समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र एवं आधार**घ. 1. घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध**

11. घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में जांच की प्रक्रिया के दौरान किये गये अनुरोध नीचे दिये गये हैं :

- क. यह आवेदन मैसर्स इण्डोरामा इंडस्ट्रीज लिमि. द्वारा दायर किया गया है। आवेदक द्वारा उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने यह प्रमाणित किया है कि

याचिकाकर्ता अथवा इसके किसी संबंधित पक्षकार द्वारा विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं हुआ है।

ख. भारत में संबद्ध वस्तुओं का केवल एक और उत्पादक अर्थात् हयोसंग इंडिया प्रा. लिमि. (एच आई पी एल) है।

ग. इसके अलावा उन्होंने यह अनुरोध किया कि घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, एच आई पी एल ने कैलेंडर वर्ष 2019 की अंतिम तिमाही में अपने कार्यकलाप शुरू किये हैं।

घ. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

12. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग क्षेत्र और आधार के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

घ. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

13. इस नियमावली का नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

“(ख) ‘‘घरेलू उद्योग’’ का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ‘‘घरेलू उद्योग’’ पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।’’

14. यह आवेदन मैसर्स इण्डोरामा इंडस्ट्रीज लिमि. द्वारा दायर किया गया है। भारत में संबद्ध वस्तुओं का केवल एक और उत्पादक अर्थात् हयोसंग इंडिया प्रा. लिमि. (एच आई पी एल) है।

15. रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक का भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा है जिसे नीचे तालिका में देखा जा सकता है।

भारतीय उत्पादक	यू ओ एम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
इंडोरमा इंडस्ट्रीज लिमि.	मी. ट.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	131	150	172
एच आई पी एल	मी. ट.	-	-	-	***
	सूचीबद्ध				100
कुल उत्पादन	मी. ट.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	131	150	322
कुल उत्पादन में हिस्सा					
इंडोरमा इंडस्ट्रीज लिमि.	%	***	***	***	***
एच आई पी एल	%	***	***	***	***

16. रिकार्ड के अनुसार आवेदक न तो भारत में किसी आयातक से संबंधित है और न ही सिंगापुर के किसी निर्यातक से संबंधित है। प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है।

17. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी इस नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) के तात्पर्य से पात्र घरेलू उद्योग के रूप में आवेदक को नहीं मानता है।

ड. पाटन का आकलन – पद्धति और मानदंड

सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत एवं पाटन मार्जिन का निर्धारण

18. इस अधिनियम की धारा 9 क (1)(ग) के अनुसार, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य निम्नलिखित है :

- i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो ; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ;

बतर्था यह कि उदगम वाले देश से इतर किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में अथवा जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश के जरिए मात्र यानांतरित किया गया है अथवा जहां ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यातक के देश में नहीं किया जाता है, निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

ड 1. घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

19. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

- क. घरेलू उद्योग ने जांच की शुरुआत के उद्देश्य से अपने आवेदन में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के अपने दावे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराया है।
- ख. संबद्ध देश में प्रचलित कीमतों के संबंध में कोई विश्वसनीय सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों से प्राप्त नहीं की जा सकी। इसके अलावा, संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के आयातों अथवा अन्य देशों को निर्यातों के संबंध में भी सूचना जांच की अवधि के लिए सार्वजनिक डोमेन में न तो उपलब्ध थी और न ही संबद्ध देश के उत्पादकों/ निर्यातकों के द्वारा उपलब्ध कराया गया था। ऐसे परिदृश्य में, सामान्य मूल्य से संबंधित सूचना का निर्धारण प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत के लिए उचित योग और लाभ के लिए उचित योग के साथ उद्गम देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत के आधार पर किया जाना चाहिए।
- ग. घरेलू उद्योग ने लेन देन वार डी जी सी आई एंड एस आयात आंकड़ों पर निर्यात कीमत का दावा किया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय ढुलाई, पोर्ट हैण्डलिंग और स्वीकृत शुल्क, बैंक प्रभार, कमीशन, क्रेडिट लागत की कटौती की है। इसके अलावा, परिकलित पाटन मार्जिन बहुत अधिक है।

ड 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

20. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत अथवा पाटन मार्जिन के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया।

डू3. प्राधिकारी द्वारा जांच

21. इस अधिनियम की धारा 9 क (1)(ग) के अनुसार, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य निम्नलिखित है :

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो ; अथवा (ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत; बशर्ते यह कि उदगम वाले देश से इतर किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में अथवा जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश के जरिए मात्र यानांतरित किया गया है अथवा जहां ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यातक के देश में नहीं किया जाता है, निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

22. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से ज्ञात निर्यातकों को निर्धारित रूप में और तरीके से सूचना उपलब्ध कराने के लिए उन्हें सलाह देते हुए प्रश्नावलियां भेजीं थीं। हालांकि, किसी भी निर्यातक अथवा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने अपनी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत कर इस जांच में सहयोग नहीं किया है।

सामान्य मूल्य

23. संबद्ध देश में उत्पादकों/ निर्यातकों से सहयोग प्राप्त न होने की स्थिति में, प्राधिकारी उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर उद्गम देश में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करते हैं। तदनुसार, संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के लिए संरचित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाये गये अनुसार है।

निर्यात कीमत

24. सिंगापुर के किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है। असहयोग को देखते हुए प्राधिकारी समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय दुलाई पोर्ट हैंडलिंग और स्वीकृति शुल्क, बैंक प्रभार, कमीशन, क्रेडिट लागत के कारण समायोजनों पर विचार करने के बाद लेन देन वार डी जी सी आई एंड एस आयात संबंधी आंकड़ों के आधार पर सभी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण करते हैं। तदनुसार, संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के लिए कारखानागत निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाये गये अनुसार है।

पाटन मार्जिन

- 25 सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत जिसका उल्लेख ऊपर में किया गया है, पर विचार करते हुए, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के सभी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन नीचे दिये गये अनुसार किया गया है।

पाटन मार्जिन तालिका

विवरण	सामान्य मूल्य (यू एस डॉलर / मी.ट.)	निर्यात कीमत (यू एस डॉलर / मी.ट.)	पाटन मार्जिन (यू एस डॉलर / मी.ट.)	पाटन मार्जिन (%)	रेंज
सिंगापुर के सभी उत्पादक / निर्यातक	***	***	(***)	(***)	(1-10)

26. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सिंगापुर से पाटन मार्जिन नकारात्मक है।

च. क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन**च. 1. घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध**

27. घरेलू उद्योग का क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में किये गये अनुरोध नीचे दिये गये हैं :

- क. बाजार में बने रहने के उद्देश्य से और अपनी निर्धारित लागत जो संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की कुल लागत का लगभग 30 प्रतिशत है, को कम करने के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग के पास माल सूची की लागत को कम करने के प्रयोजन से आयात समानता कीमतों पर बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री करने और उच्च उपयोगिता दर पर उत्पादन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
- ख. घरेलू उद्योग अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद अपनी पूर्ण लागत वसूल नहीं पा रहा है। संबद्ध देश से कम आयात कीमतों के कारण घरेलू उद्योग पर बहुत अधिक कीमत दबाव पड़ा है। इसके अलावा घरेलू उद्योग द्वारा यह भी अनुरोध किया जाता है कि निर्यातक बिक्री पश्चात छूट दे रहे हैं।
- ग. बिक्री की लागत और बिक्री कीमत के बीच बहुत अधिक अंतर है जिसे सिंगापुर से संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों के द्वारा आक्रामक कीमत निर्धारण के कारण भरा नहीं जा सका।
- घ. यह स्थिति स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग पर कीमत के दबाव को दर्शाती है जिसमें यदि वे संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं तब उनकी निर्धारित लागतों में बहुत अधिक हद तक वृद्धि होगी और उनकी हानि में वृद्धि होगी।

च. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

28. किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने इस जांच में भाग नहीं लिया है और क्षति जो घरेलू उद्योग को होने का आरोप लगाया गया है के संबंध में तथा कारणात्मक संबंध के बारे में कोई अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया है।

च. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

29. इस नियमावली का इसके अनुबंध - II के साथ पठित नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..." घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शाते वाले कारकों की जांच शामिल होगी।

30. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, इस अनुबंध II पैरा (iv) में निम्नानुसार उल्लेख है:

“(iv) संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों जिसका बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिफल अथवा क्षमता के उपयोग सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों; पाटन के मार्जिन का परिमाण; नकद प्रवाह, माल सूची, रोजगार, वेतन, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभाविक नकारात्मक प्रभावों का मूल्यांकन शामिल होगा।”

31. डब्ल्यू टी ओ करार के अनुच्छेद 3.1 और इस नियमावली के अनुबंध-II में (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव; और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव, इन दोनों की वस्तुपरक जांच की व्यवस्था है। पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादों की कीमतों की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में महत्वपूर्ण स्तर तक कमी करना है या ऐसा कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा में बढ़ गई होती। वर्तमान क्षति विश्लेषण के उद्देश्य से प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों की मात्रा और कीमत प्रभावों तथा कीमतों और लाभप्रदता पर इसके प्रभाव की जांच की है ताकि पाटन और क्षति, कोई कोई हो के बीच क्षति और कारणात्मक संबंध की मौजूदगी की जांच की जा सके।

32. किसी भी उत्पादक/ निर्यातक या किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अभाव में, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों और घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना को नोट किया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के सभी अनुरोधों को नोट किया है और रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानूनों पर विचार करते हुए उसका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा यहां नीचे किया गया क्षति विश्लेषण व्यक्त की गई सभी चिंताओं को वास्तव में दूर करता है।

च. 3.1. पर पाटित आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव और घरेलू उद्योग प्रभाव

i. मांग/ स्पष्ट खपत का आकलन

33. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या पाटित आयातों में या तो पूर्ण रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। क्षति के आकलन के विश्लेषण के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस से लिये गये आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है।

34. मांग का निर्धारण सभी घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी देशों से आयातों के योग के रूप में किया गया है। संबद्ध वस्तुओं की स्पष्ट मांग/ खपत क्षति की पूरी अवधि के दौरान एक सकारात्मक रुझान दर्शाता है, जिसे नीचे तालिका से देखा जा सकता है :

विवरण	यू ओ एम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (जांच की अवधि)
सिंगापुर से आयात	मी. ट.	539	918	292	801
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	170	54	149

अन्य देशों से आयात	मी. ट.	14449	15794	19460	18098
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	109	135	125
कुल अयात	मी. ट.	14988	16711	19753	18898
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	111	132	126
कुल घरेलू बिक्री	मी. ट.	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	115	135	162
कुल मांग	मी. ट.	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	112	133	134

35. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में आधार वर्ष में *** मी. ट. से जांच की अवधि में *** मी. ट. वृद्धि हुई है। यह देखा जा सकता है कि इन वर्षों के दौरान घरेलू उत्पादन में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है। आवेदक का यह दावा है कि यह मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण है कि कुछ स्रोतों से पाटनरोधी शुल्कों को लगाये जाने से आवेदक को अपने उत्पादन और प्रदर्शन में वृद्धि करने में सहायता मिली है और उसके साथ ही बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को पूर्व स्थिति में लाने के फलस्वरूप देश में एक अन्य उत्पादक स्थापित हुए हैं।

ii. सिंगापुर से आयात मात्रा एवं बाजार का हिस्सा

36. निम्नलिखित तालिका भारत में कुल आयातों और मांग में संबद्ध देश के आयातों की मात्रा और हिस्से का विवरण देता है।

वर्ष	यू ओ एम	2016-2017	2017-2018	2018-2019	जांच की अवधि
सिंगापुर से आयात	मी. ट.	539	918	292	801
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	170	54	149
अन्य देशों से आयात	मी. ट.	14449	15794	19460	18098
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	109	135	125
कुल आयात	मी. ट.	14988	16711	19753	18898
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	111	132	126
कुल आयात का %					
संबद्ध देश	%	3.60%	5.49%	1.48%	4.24%
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	153	41	118
अन्य देश	%	96.40%	94.51%	98.52%	95.76%
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	98	102	99
कुल मांग (मी. ट.)	मी. ट.	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	112	133	134
मांग में % हिस्सा					
संबद्ध देश	%	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	151	41	111

अन्य देश	%	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	97	102	93

37. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से आयातों की मात्रा ने आधार वर्ष और उसके पूर्व के वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में पूर्ण रूप में वृद्धि दर्शायी है। यह नोट किया जाता है कि भारत में खपत/ मांग में संबद्ध आयातों के हिस्से में आधार वर्ष और उसके पूर्व के वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।

iii. उत्पादन की तुलना में आयात

38. उत्पादन में संबद्ध देश से आयातों के हिस्से में वर्ष 2018-19 में 4.9 प्रतिशत से जांच की अवधि में 12.9 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

विवरण	यू ओ एम	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
संबद्ध देशों से आयात	(मी. ट.)	539	918	292	801
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	170	54	149
घरेलू उत्पादन	(मी. ट.)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	131	150	171
संबद्ध देश का उत्पादन में प्रतिशत हिस्सा	%	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	129	36	87

39. उपर्युक्त से यह नोट किया जाता है कि आयातों में न केवल पूर्ण रूप में वृद्धि हुई है बल्कि मांग और घरेलू उत्पादन की तुलना में भी वृद्धि हुई है।

च. 3.2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

40. इस नियमावली के अनुबंध II (ii) के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से अन्य प्रकार से कीमतों पर बहुत अधिक हद तक दबाव पड़ने वाला है अथवा कीमत में वृद्धि रूकने वाली है जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक हद तक हुई होती। घरेलू उद्योग की कीमतों पर आयातों के प्रभाव की जांच कीमत में कटौती, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो के संदर्भ में किया गया है।

i. कीमत में कटौती

41. कीमत में कटौती का निर्धारण करने के लिए, उत्पाद का मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत की तुलना व्यापार के उसी स्तर पर सभी छूट और करों के निवल के साथ की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतों का निर्धारण कारखानागत स्तर पर किया गया था।

विवरण	यू ओ एम	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
संबद्ध देश से पहुंच मूल्य	रु./ मी. ट.	382826	358516	418865	388606
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	94	109	102
घरेलू बिक्री कीमत	रु./ मी. ट.	***	***	***	***

विवरण	यू ओ एम	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	104	105	104
कीमत में कटौती	रु./ मी. ट.	(***)	(***)	(***)	(***)
कीमत में कटौती	%	(***)	(***)	(***)	(***)
कीमत में कटौती	रेंज	(20) - (10)	(10) - 0	(20) - (10)	(20) - (10)

42. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सिंगापुर से पहुंच मूल्य जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है और इस प्रकार सिंगापुर से आयातों के कारण कीमत में कटौती जांच की अवधि में सकारात्मक पाई गई थी। हालांकि, ये आयात पाटित कीमतों पर नहीं हुए हैं।

कीमत ह्रास/ न्यूनीकरण

43. इस तथ्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से की क्या पाटित आयातों के कारण घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ रहा है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों पर बहुत अधिक हद तक दबाव पड़ने वाला है और कीमत में वृद्धि रुकने वाली है जो अन्य प्रकार से हुई होती, प्राधिकारी ने क्षति की अवधि के दौरान लागतों और कीमतों तथा पहुंच मूल्य में परिवर्तनों पर विचार किया है।

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
संबद्ध देश से पहुंच मूल्य रु./ मी. ट.	382826	358516	418865	388606
प्रवृत्ति	100	94	95	87
घरेलू बिक्री कीमत रु./ मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	104	105	104
लागत रु./ मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	109	116	102

44. जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, सिंगापुर से पहुंच मूल्य में जांच की अवधि में गिरावट आई है। जहां तक घरेलू उद्योग का संबंध है, लागतों और कीमतों दोनों में आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। सिंगापुर से गिरती हुई कीमतें भी अन्य स्रोतों से कीमतों की तुलना में कमतर है। घरेलू उद्योग की कीमतों पर संबद्ध देश से कम कीमत पर आयातों के कारण दबाव पड़ा है/ उसमें कमी आई है। हालांकि, सिंगापुर से यह आयात पाटित कीमतों पर नहीं हुए हैं।

च. 3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

45. इस नियमावली के अनुबंध ॥ में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में इस प्रकार के उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर सब्सिडी प्राप्त आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिफल अथवा क्षमता के उपयोग; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों; नकद प्रभाव, माल सूची, रोजगार, वेतन, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, का एक वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए।
46. तदनुसार, घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक मानदंडों की चर्चा यहां नीचे की गई है।

i. उत्पादकता, बिक्री एवं क्षमता का उपयोग

47. घरेलू उद्योग का उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता और क्षमता उपयोग का प्रदर्शन नीचे दिये गये अनुसार है :

विवरण	यू ओ एम	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
क्षमता	मी. ट.	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	140	220	220
कुल उत्पादन	मी. ट.	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	131	150	171
क्षमता का उपयोग	%	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	94	68	78
घरेलू बिक्री	मी. ट.	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	115	135	162

48. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग में पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।

ii. आयातों का बाजार हिस्सा

49. कथित पाटित आयातों और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से की जांच नीचे दिये गये अनुसार की गई है :

विवरण	यू ओ एम	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
कुल मांग में बाजार हिस्सा	MT	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	112	133	134
कुल घरेलू बिक्री	%	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	103	102	121
सिंगापुर	%	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	151	41	111
अन्य देश	%	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	97	102	93

50. उपर्युक्त से यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की स्पष्ट खपत में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। भारत में कुल मांग की तुलना में सिंगापुर से आयातों में भी पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।

iii. लाभ, निवेश पर प्रतिफल और नकद लाभ

51. लाभ, निवेश पर प्रतिफल और नकद प्रवाह के संबंध में घरेलू उद्योग का प्रदर्शन नीचे दिये गये अनुसार है :

विवरण	यू ओ एम	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
बिक्री	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	135	162
बिक्री मूल्य (लाख रु. में)	रु.लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	120	142	168
बिक्री कीमत	रु/ मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	105	104
लागत	रु.लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	138	155	167
लागत	रु/ मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	120	115	103
प्रति इकाई लाभ/ हानि	रु/ मी. ट.	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	786	519	92
लगाई गई पूंजी	रु.लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	118	124
आर ओ सी ई	%	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	782	591	120
नकद लाभ	रु.लाख	***	(***)	(***)	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(62)	(5)	144
नकद लाभ	रु/ मी. ट.	***	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(54)	(4)	89

52. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की हानि जांच की अवधि में कम हुई है। घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा किया जाता है कि वर्ष 2018-19 में अधिक हानि कच्चे माल की ऊंची कीमतों के कारण हुई थी जो यह उद्योग इस तथ्य को देखते हुए अपने ग्राहकों पर डाल नहीं सका कि सिंगापुर और अन्य देशों से आयात कीमतों ने उन्हें कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के अनुरूप अपनी कीमतें बढ़ाने से रोका।

iv. माल सूची

53. घरेलू उद्योग की माल सूची नीचे दिये गये अनुसार है :

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
माल सूची	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	258	186	263

54. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध माल सूची में जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई।

v. रोजगार, उत्पादकता

55. प्राधिकारी ने रोजगार, वेतन और उत्पादकता से संबंधित सूचना की जांच नीचे दिये गये अनुसार की है :

वर्ष	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
उत्पादन	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	131	150	171
कर्मचारी	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	117	120
उत्पादन/ कर्मचारी	मी. ट./ सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	129	143
वेतन	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	121	143
उत्पादन/ कर्मचारी	रु./ सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	104	119

56. यह नोट किया जाता है कि :

- पूर्व वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में उत्पादकता में वृद्धि हुई है।
- घरेलू उद्योग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की संख्या में क्षति की जांच की पूरी अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

vi. पाटन का परिमाण

57. पाटन का परिमाण उस सीमा का संसूचक है जिस सीमा तक आयातों का पाटन भारत में किया जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से पाटन मार्जिन नकारात्मक है।

vii. वृद्धि

58. यह नोट किया जाता है कि लाभ, ब्याज पूर्व लाभ, लगाई गई पूंजी पर लाभ, बाजार हिस्से जैसे मानदंड पूर्ण संख्या में भी प्रतिकूल थे। उत्पादन और घरेलू बिक्री के संबंध में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग को हानि होना जारी है।

क्षति मार्जिन

59. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एन आई पी का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की एन आई पी का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराये गये उत्पादन की लागत से संबंधित सूचना/ आंकड़ों तथा जांच की अवधि के लिए पेशेवर लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित सूचना/ आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। एन आई पी पर विचार क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना करने के वास्ते की गई है।

एन आई पी का निर्धारण करने के लिए, कच्चे माल और उपयोगिताओं का सर्वोत्तम उपयोग पर विचार क्षति की अवधि के दौरान किया गया है। क्षति की अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण अथवा गैर आवर्ती खर्च को उत्पादन की लागत से बाहर रखा गया है।

60. चूंकि किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने भाग नहीं लिया है, अतः सिंगापुर के लिए पहुंच कीमत का निर्धारण क्षति मार्जिन के निर्धारण के उद्देश्य से डी जी सी आई एंड एस आंकड़ों से किया गया है। लागू सीमा शुल्कों को आयातों की पहुंच कीमत का निर्धारण करने के लिए जोड़ा गया है।
61. जैसा कि ऊपर में पहुंच कीमत और एन आई पी का निर्धारण किया गया है, उसके आधार पर प्राधिकारी द्वारा गणना किये जाने के लिए उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है:

पाटन मार्जिन तालिका

विवरण	क्षति रहित कीमत (यू एस डॉलर/ मी. ट.)	पहुंच मूल्य (यू एस डॉलर/ मी.ट.)	पाटन मार्जिन यू एस डॉलर/ मी. ट.	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन % (रेंज)
सिंगापुर के सभी उत्पादक/ निर्यातक	***	5,425.19	***	***	0-10

क्षति संबंधी विश्लेषण

62. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश संबद्ध उत्पाद के आयातों की जांच यह दर्शाती है कि यद्यपि आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है, आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव भी पड़ रहा है और घरेलू उद्योग को हानि उठानी पड़ी है लेकिन यह पाटित आयातों के कारण नहीं हुआ है।

छ. कारणात्मक संबंध और गैर आरोपण विश्लेषण

63. वास्तविक क्षति की मौजूदगी, घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों की मात्रा और कीमत प्रभाव की जांच करने के बाद, इसकी कीमत में कटौती, कम कीमत पर बिक्री और कीमत ह्रास तथा न्यूनीकरण के प्रभावों के संबंध में, इस नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य सांकेतिक मापदंडों की जांच प्राधिकारी द्वारा यह देखने के लिए की गई है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर किसी अन्य कारक का घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में योगदान हो सकता था।
64. प्राधिकारी ने इस नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारकों जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में योगदान कर सकते थे, को पाटन और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की जांच करने के लिए नोट किया है और वह नीचे दिये गये अनुसार करते हैं:
65. सूचीबद्ध ज्ञात कारकों के कारण क्षति नहीं हुई है जैसा कि निम्नलिखित से देखा जा सकता है:
- क) संबद्ध देश को छोड़कर अन्य स्रोतों से संबद्ध वस्तुओं से आयात न्यूनतम स्तर से नीचे हैं और वे पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन हैं।
- ख) भारत में विचाराधीन उत्पादों के लिए मांग में कोई संकुचन नहीं हुआ है।

- ग) विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस कारण से, खपत के पैटर्न में परिवर्तन को यह नहीं माना जा सकता है कि इसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- घ) कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्यपद्धति नहीं है जिसका घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में योगदान हो सकता था।
- ङ) संबंधित उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार प्रौद्योगिकी में विकास को घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने के एक कारक के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- च) घरेलू उद्योग की उत्पादकता में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। इस कारण से उत्पादकता घरेलू उद्योग को क्षति का एक कारण नहीं है।
- छ) घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं कर रहा है। इस कारण से हुई क्षति घरेलू प्रचालनों के कारण ही हुई है।
- ज) प्राधिकारी ने क्षति के विश्लेषण के लिए केवल घरेलू प्रचालनों के लिए आंकड़ों पर विचार किया है। इस कारण से निर्यात कार्य निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने का कारण नहीं है।

कारणात्मक संबंध के बारे में निष्कर्ष

66. रिकार्ड पर उपलब्ध सभी सूचनाओं के आकलन के अनुसार, यह नोट किया जाता है कि :

- क) घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती आयातों के कारण और न कि पाटित आयातों के कारण हो रही है। पाटन मार्जिन नकारात्मक है।
- ख) घरेलू उद्योग की वृद्धि कीमत से संबंधित अनेक आर्थिक मापदंडों जैसे लाभ, लगाई गई पूंजी पर आय और नकद लाभ आदि के संबंध में नकारात्मक नहीं हो गई लेकिन पाटित आयातों के प्रत्यक्ष परिमाण के रूप में नहीं। पाटन मार्जिन नकारात्मक है।

ज. प्रकटीकरण पश्चात विवरण

67. घरेलू उद्योग ने अकेले ही याचिका दायर की है और जांच में भाग लिया है। वर्धमान टेक्सटाइल्स एकमात्र अन्य इच्छुक पार्टी है जिसने प्रस्तुत किया है कि चूंकि "लाइक्रा®" के रूप में ब्रांड नाम वाले विषयगत सामान को प्रकटीकरण विवरण में पीयूसी के दायरे से बाहर रखा गया है, इसलिए अंतिम जांच परिणाम में इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रकटीकरण विवरण पर टिप्पणियां की हैं। इनमें से अधिकतर टिप्पणियां पुनरावृत्ति हैं और प्राधिकारी द्वारा पहले ही इन पर विचार किया गया है। तथापि, स्पष्टता के लिए उनके अनुरोधों को सारांशीकृत किया गया है और निम्नानुसार द्वारा इन पर विचार किया गया है:

- क) यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रकटन विवरण को नियमावली के नियम 16 की शर्तों में जारी किया गया नहीं कहा जा सकता।
- ख) यह अनुरोध किया जाता है कि लिंक की गई फाइलों सहित विस्तृत एनआईपी कार्रवाई को घरेलू उद्योग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसने घरेलू उद्योग के हितों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है और यह सहज न्याय के सिद्धांतों के भी विरुद्ध है।
- ग) प्राधिकारी ने भिन्न-भिन्न उत्पादन संख्याओं को प्रयोग करने का कोई कारण उपलब्ध नहीं कराया है। प्राधिकारी ने कच्चे माल के रूप में संयंत्र में ट्राली में स्टॉक किए गए तैयार माल डब्ल्यूआईपी को

गलत रूप से पुनः समूहिक / पुनः वर्गीकृत किया है। प्राधिकारी ने इस पर विचार न किए जाने के लिए कोई अवसर या कारण प्रदान नहीं किया है। चूंकि इस का एनआईपी और सीएनवी की संगणना पर सीधी प्रभाव पड़ता है, हम विनम्रतापूर्वक प्राधिकारी से इसे संशोधित करने का अनुरोध करते हैं।

- घ) उनके द्वारा व्यापक साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर भी कि वास्तविक स्थापित क्षमता केवल *** मी. टन है, प्राधिकारी ने कंपनी की स्थापित क्षमता पर *** मी. टन प्रति वर्ष के रूप में विचार किया है। *** मी. टन की क्षमता इस मान्यता पर आधारित है कि कंपनी पीयूसी का केवल एक वेरिएंट अर्थात् 70 डेनियर्स का उत्पादन करता है। प्राधिकारी का *** मी. टन को वार्षिक क्षमता के रूप में मानने के प्रस्ताव का अनिवार्य रूप से तात्पर्य यह है कि संयंत्र की क्षमता को इस मान्यता पर निर्धारित किया जाना चाहिए कि वे केवल एक डेनियर या वेरिएंट का उत्पादन कर सकते हैं और किया जाना चाहिए। इस तरह के दृष्टिकोण से एक बेतुकी स्थिति पैदा होगी।
- ड) यह अनुरोध किया जाता है कि निर्मित सामान्य मूल्य की संगणना करने की वर्तमान पद्धति असहयोगी निर्यातकों के लिए फायदेमंद होगी क्योंकि यह माना जा रहा है कि पीओआई के दौरान सिंगपुर में सभी उत्पादक सर्वोत्तम क्षमता उपयोग और सर्वोत्तम कच्ची सामग्री और उपयोगिता खपत संबंधी मानदंडों पर प्रचालन कर रहे हैं।

ज.1 प्राधिकारी द्वारा जांच

68. प्राधिकारी ने हिदबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है तथा नोट किया है कि कुछ टिप्पणियों की पुनरावृत्ति की गई है जिनकी पहले ही उपयुक्त रूप से जांच की गई है और अंतिम जांच परिणाम के संगत पैराओं में पर्याप्त रूप से विचार किया गया है। हिदबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटीकरण पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मुद्दों और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए मुद्दों की नीचे जांच की गई है।
69. जहां तक एनआईपी की परिकल्पना करते हुए एनआईपी के अपर्याप्त प्रकटीकरण और क्षमता/उत्पादन, पुनः समूहन/कुछ विशेष व्ययों की अस्वीकृति के परिशोधन संबंधी तर्कों पर घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि स्पष्टीकरण के लिए विचारित क्षमता के सहित एनआईपी में लागत के प्रत्येक तत्व का दिनांक 27 अगस्त, 2021 की ईमेल के अनुसार प्रकटन किया गया है। जहां तक क्षमता का संबंध है, घरेलू उद्योग ने उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी स्थापित क्षमता दिनांक 11.10.2018 के प्रमाण पत्र और दिनांक 05.09.2016 के घरेलू उद्योग के निदेशक मंडल के अनुमोदन, को उपलब्ध कराया है। इंडोरामा की इंडस्ट्रीज वेबसाइट (<https://www.indorama.com/affiliated-companies/indorama-industries-limited>) पर भी *** मी. टन की स्थापित क्षमता का उल्लेख है। इसलिए, *** मी. टन प्रति वर्ष की क्षमता एनआईपी प्रक्रिया में विचारित की गई है। तथापि, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी को उक्त दस्तावेजों पर विचार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस की बड़ी हुई स्थापित क्षमता भिन्न-भिन्न पूर्वधारणाओं पर आधारित है और वास्तविक स्थापित क्षमता भिन्न है। घरेलू उद्योग ने दिनांक 10 अगस्त, 2021 का तदनुरूपी बोर्ड संकल्प प्रस्तुत किया है, जो कि प्राप्ति योग्य और व्यावहारिक क्षमता *** मी. टन की बताता है। तथापि, प्राधिकारी का यह अभ्यास स्थापित क्षमता पर विचार करना है न कि प्राप्ति योग्य और व्यावहारिक क्षमता पर। घरेलू उद्योग से कई बार समर्थक दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। जैसे आंतरिक परियोजना रिपोर्ट, किसी अन्य प्राधिकारी को प्रस्तुत क्षमता साक्ष्य, किसी बैंक को प्रस्तुत तृतीय पार्टी परियोजना रिपोर्ट, भिन्न-भिन्न मान्यताओं के लिए तकनीकी साक्ष्य और इसके दावे को संपोषित करने वाले अन्य दस्तावेज। तथापि, घरेलू उद्योग ने कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया। तदनुसार, उद्योग विभाग (हिमाचल प्रदेश सरकार) द्वारा जारी प्रमाणपत्र में उल्लिखित और घरेलू उद्योग थे।

समर्थित स्वयं के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित क्षमताओं पर एडीडी नियमावली के नियम 6(8) की शर्तों में और सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर एनआईपी को तैयार किया गया है।

70. जहां तक निर्मित सामान्य मूल्य की परिकल्पना के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए तर्कों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य को प्राधिकारी के लगातार अभ्यास के अनुसार निर्मित किया गया है। प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य संगणना के प्रयोजन हेतु उत्पादन की लागत पर पहुंचने के लिए कच्चे माल, यूटिलिटीज और क्षमता के अपर्याप्त उपयोग के कारण घरेलू उद्योग द्वारा उपगत वास्तविक लागत को सामान्यीकृत किया है। इसके अलावा, प्राधिकारी द्वारा अनुसरित लगातार पद्धति के अनुसार निर्मित सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए लाभ की उचित राशि को भी जोड़ा है।

झ. निष्कर्ष और सिफारिश

71. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की ओर उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने के पश्चात और रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के पश्चात प्राधिकारी यह निष्कर्ष देते हैं और सिफारिश करते हैं कि सिंगापुर से पाटन मार्जिन नकारात्मक है। इसलिए प्राधिकारी पाटन रोधी नियमावली के नियम 14(ग) के संदर्भ में वर्तमान जांच को समाप्त करते हैं।

ज. आगे की प्रक्रिया

72. केंद्रीय सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील, जो इस सिफारिश से उत्पन्न हो सकती है। उचित मंच के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

(FINAL FINDINGS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2021

Case No. (ADD-OI -37/2020)

Subject: Anti-Dumping investigation concerning imports of “Elastomeric Filament Yarn” originating in or exported from Singapore -reg.

F. No. 06/44/2020-DGTR.—Having regards to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time thereof:

A. BACKGROUND OF THE CASE

2. M/s Indorama Industries Ltd (hereinafter also referred to as the “applicant” or the “domestic industry”) had filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules” or “AD Rules”), for initiation of an anti-dumping investigation on the imports of “Elastomeric Filament Yarn” (hereinafter also referred as the “subject goods” or the “product under consideration” or the “PUC”) originating in or exported from Singapore (hereinafter also referred to as the “subject country”).

3. The applicant filed an application seeking imposition of antidumping duty contending that the producers in Singapore are dumping the product and the same is causing injury to the domestic industry. The Authority, on the basis of a duly documented petition and after sufficient prima-facie examination of the evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide Notification No. 6/44/2020 -DGTR dated 30.09.2020, published in the Gazette of India, initiating investigation in accordance with Rule 5 of the Rules to determine existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from Singapore and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

4. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:
- a. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.
 - b. The Authority issued a Public Notice No. 6/44/2020 -DGTR dated 30.09.2020, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject country.
 - c. The Embassy of the subject country in India was informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6(2) of the Rules. The Authority sent a copy of the initiation notification to the government of the subject country, through its Embassy in India, known producers/exporters from the subject country, known importers/users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.
 - d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Government of the subject country, through its Embassy in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.
 - e. Also, a list of all interested parties was uploaded on DGTR's website. All parties were also requested to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file was not accessible physically due to restrictions on physical movements owing to the ongoing global Covid-19 pandemic.
 - f. The Authority also forwarded copy of the notice to known producers/exporters from the subject country, known importers/users in India, other Indian producers and the domestic industry as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 30 days of the initiation notification.
 - g. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.
 - h. The Authority sent exporter's questionnaire to M/s Investa Singapore, known producer/exporter in Singapore in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
 - i. No response to the exporter's questionnaire has been filed by any exporter/producer from the subject country.
 - j. The Authority sent Importer's Questionnaire to the following known importers/users /associations of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - i. Auro Spinning Mills
 - ii. Aarvee Denims and Exports Ltd.
 - iii. Aggarwal Metal Industries
 - iv. Alok Industries Ltd.
 - v. BST Textile Mills Pvt Ltd.
 - vi. Blaumann Industries Pvt Ltd.
 - vii. Name: Bombay Rayon Fashions Ltd.
 - viii. Name: Deepak Impex Pvt. Ltd.

- ix. Confederation of Indian Textile Industry (C I T I)
- x. Indian Spinners Association (I S A)
- xi. Indian Woollen Mills Federation
- xii. Federation of Indian Art Silk Weaving Industry
- k. No questionnaire response has been filed by any importer / user. Further, no response has been received from any Association as well.
- l. Only Vardhman Textiles Ltd submitted legal submissions.
- m. The Authority had kept a non-confidential version of the petition filed by the applicant.
- n. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and its analysis after due examination of the transactions.
- o. The Non-Injurious Price (NIP) has been determined based on the cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- p. Desk verification of the information provided by the domestic industry, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of this disclosure statement.
- q. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1st April, 2019 to 31st March, 2020 (12 months). The injury period under investigation will, however, cover the periods April, 2016 to March, 2017, April, 2017 to March, 2018, April, 2018 to March, 2019 and the period of investigation (POI).
- r. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority also provided an opportunity to all the interested parties to present their views orally in a hearing held on 02.06.2021. Only the domestic industry attended the oral hearing. The domestic industry was requested to file written submissions, followed by rejoinders, if any.
- s. The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on a confidential basis.
- t. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and examined the matter on the basis of the facts available.
- u. A disclosure statement containing the essential facts in this investigation which would have been formed the basis of the final findings was issued to the interested parties on 26.08.2021 and the interested parties were requested to offer comment on the same. The comments on the disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this final findings notification.
- v. ‘***’ in the final findings represents information furnished by an interested party/any other party on a confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- w. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US\$1 = ₹71.63.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION (PUC) AND LIKE ARTICLE

5. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as:

“The product under consideration in the present application is “Elastomeric Filament Yarn of all deniers”. These filament yarns are also commonly referred to as Spandex or Elastane. The subject goods are described in terms of the deniers and are sold generally in the range of 10 to 1680 deniers. The domestic industry has the capability to produce the entire range of these deniers.

Following products are excluded from the scope of the product under consideration:

- a) Coloured Elastomeric Yarns;
- b) Elastomeric yarns on Beam;
- c) Subject goods having brand name as “Lycra®” as the same is a specialized and fine quality product manufactured under process control conditions, which are patent protected. Even commercially, the price of Lycra is high as compared to the other brands of elastomeric filament yarns available in the market.
- d) Elastomeric Filament Yarn meant for hygiene requirements such as diapers are also excluded from the product under consideration.

C.1. Submissions made by the domestic industry

6. The submissions made by the domestic industry with regard to the product under consideration and like article and considered relevant by the Authority are as follows:
 - a. The product under consideration in the present application is “Elastomeric Filament Yarn of all deniers”. These filament yarns are also commonly referred to as Spandex or Elastane. The subject goods are described in terms of the deniers and are sold generally in the range of 10 to 1680 deniers. The domestic industry has the capability to produce the entire range of these deniers. Following products are excluded from the scope of the product under consideration:
 - a) Colored Elastomeric Yarns;
 - b) Elastomeric yarns on Beam;

Subject goods having brand name as “Lycra®” as the same is a specialized and fine quality product manufactured under process control conditions, which are patent protected. Even commercially, the price of Lycra is high as compared to the other brands of elastomeric filament yarns available in the market.
 - c) Elastomeric Filament Yarn meant for hygiene requirements such as diapers are also excluded from the product under consideration.
 - b. The subject products are classified under Chapter Heading 54 “Man-made filaments; strips and the like of man-made textile materials” of the Customs Tariff Act. The classification at the 8-digit level is 54041100 even though the same are being classified and imported under various sub-headings like 5402, 5403 and 5404 of the Customs Tariff Act, 1975. The custom classification is indicative only and in no way, it is binding upon the product scope and the product description prevails in circumstances of conflict.
 - c. The basic custom duty on imports of PUC is NIL for the subject country for the complete injury investigation period.
 - d. The subject goods produced by the applicant and the subject goods imported from the subject country are like articles. There is no known difference between the subject goods exported from the subject country and that produced by the petitioner. The Subject goods produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable, and hence, should be treated as ‘like article’ under the Rules.

C.2. Submissions made by producers/exporters/importers/other interested parties

7. No submission has been made by the producers/exporters or any other party with regard to the scope of the product under consideration and the like article except that Vardhman Textiles has submitted that since the subject goods having brand name as “Lycra®” are excluded from the scope of the PUC in the initiation notification and they being the importer of “Lycra®” brand, they request that “Lycra®” brand should remain excluded.

C.3. Examination by the Authority

8. The Authority confirms the scope of the product under consideration as defined in the initiation notification, which is reproduced below.

“2. The product under consideration in the present application is “Elastomeric Filament Yarn of all deniers”. The subject goods are described in terms of the deniers and are sold generally in the range of 10 to 1680 deniers.

3. Following products are excluded from the scope of the product under consideration:

- Coloured Elastomeric Yams;
 - Elastomeric yams on Beam;
 - Subject goods having brand name as "Lycra@" as the same is a specialized and fine quality product manufactured under process control conditions, which are patent protected.
 - Elastomeric Filament Yam meant for hygiene requirements such as diapers are also excluded from the product under consideration.
4. The subject products are classified under Chapter Heading 54 of the Customs Tariff Act. The classification at the S-digit level is 54024400 and 54041100 of the Customs Tariff Act, 1975. The custom classification is indicative only and not binding upon the product scope.

9. Further, in terms of Rule 2 (d) of the Rules, the Authority on the basis of the information on record, holds that there is no known difference in the product under consideration exported from Singapore and the product produced by the Indian domestic industry. The product under consideration produced by the Indian domestic industry is comparable to the imported subject product in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.
10. Thus, the Authority holds that the product produced by the domestic industry is like article to the subject product under consideration imported from Singapore in accordance with the Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Submissions made by the domestic industry

11. The submissions made by the domestic industry during the course of the investigation with regard to the scope of the domestic industry & the standing are as follows:
- The application has been filed by M/s Indorama Industries Ltd. The production by the applicant constitutes a major proportion of total Indian production. Further, the petitioner has certified that there are no imports of the product under consideration by the petitioner or any of its related party.
 - There is only one more producer of the subject goods in India, namely HYOSUNG India Private Limited (HIPL).
 - They further submitted that as per the information available with the domestic industry, HIPL has just started their operations in the last quarter of the calendar year 2019.

D.2. Submissions made by the other interested parties

12. No submission has been made by other interested parties with regard to the scope of the domestic industry & the standing.

D.3. Examination by the Authority

13. Rule 2 (b) of the Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

14. The application has been filed by M/s Indorama Industries Ltd. There is only one more producer of the subject goods in India, namely, HYOSUNG India Private Limited (HIPL).

15. As per evidence available on record, the Authority notes that the applicant commands a major proportion in the total production of the subject goods in India as can be seen in the table below.

Indian producer	UoM	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
Indorama Industries Limited	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	131	150	172
HIPL	MT	-	-	-	***

Trend	Indexed	-	-	-	100
Total Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	131	150	322
Share in Total Production					
Indorama Industries Limited:	%	***	***	***	***
HIPL	%	***	***	***	***

16. As per the records, the applicant is neither related to an importer in India nor any exporter from Singapore. The Authority further notes that the applicant has not imported the subject goods during the period of investigation.
17. In view of the above, the Authority considers the applicant as eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Rules.

E. ASSESSMENT OF DUMPING – METHODOLOGY AND PARAMETERS

Normal Value, Export Price & Determination of Dumping Margin

18. As per section 9A(1)(c) of the Act, the normal value in relation to an article means:

- (i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- (ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either -*
 - (a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - (b) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (b):*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

E.1. Submissions by the domestic industry

19. The following submissions have been made by the domestic industry:
- a. The domestic industry has provided ample evidence to support their claim of normal value and export price in their application for the purpose of the initiation.
 - b. No reliable information in relation to the prevailing prices in the subject country could be obtained from the publicly available sources. Further, information on imports of the subject goods into subject country or exports to other countries also was neither available in the public domain for the POI nor was provided by the producers/exporters from the subject country. In such a scenario, the normal value information should be determined on the basis of the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits.
 - c. The domestic industry has claimed export price based on the transaction-wise DGCI&S import data. Further, the domestic industry has deducted ocean freight, marine insurance, inland transportation, port handling and clearance charges, bank charges, commission, credit cost. Moreover, the dumping margin calculated is significant.

E.2. Submissions made by the other interested parties

20. No submission has been made by other interested parties with regard to normal value, export price or dumping margin.

E.3. Examination by the Authority

21. Under Section 9A(1)(c), the Normal Value in relation to an article means:

- (i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- (ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either -*
- (a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (b): Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.*

22. The Authority had sent questionnaires to the known exporters from the subject country advising them to provide information in the form and manner prescribed. However, none of the exporters or any other interested parties have cooperated in this investigation by filing their Questionnaire's responses.

NORMAL VALUE

23. In the absence of cooperation from the producers/exporters in the subject country, the Authority determines the normal value, on the basis of the cost of production of the product under consideration in the country of origin based on the best facts available. Accordingly, the constructed normal value for the subject goods in the subject country is as shown in the dumping margin table below.

EXPORT PRICE

24. No producer/exporter from Singapore has cooperated in the present investigation. In view of non-cooperation, the Authority determines the export price for all producers/exporters based on the transaction-wise DGCI&S import data, after considering adjustments on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation, port handling and clearance charges, bank charges, commission, credit cost. Accordingly, the ex-factory export price for the subject goods in the subject country is as shown in the dumping margin table below.

DUMPING MARGIN

25. Considering the normal value and export price as above, the dumping margins for all producers/exporters of the subject goods from the subject country is as below.

Dumping Margin Table

Particulars	Normal Value (US\$/MT)	Export Price (US\$/MT)	Dumping Margin (US\$/MT)	Dumping Margin (%)	Range
All Producers/Exporters from Singapore	***	***	(***)	(***)	(1-10)

26. The Authority notes that the dumping margin from Singapore is negative.

F. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK**F.1. Submissions by the domestic industry**

27. The submissions of the domestic industry with regard to injury and causal link are reproduced below:

- a. In order to remain afloat in the market and in order to reduce its fixed cost which is approximately 30% of the total cost of sales of the subject goods, the domestic industry has no option but to produce at the high utilization rate and sell the subject goods in the market at the import parity prices, in order to reduce inventory cost.

- b. The domestic industry is not recovering its full cost despite its best efforts. The low import prices from the subject country have created significant price pressure on the domestic industry. It is further submitted by the domestic industry that exporters are giving post sales discount.
- c. There is significant difference between cost of sales and the selling price, which could not be filled due to aggressive pricing by the exporters of the subject goods from Singapore.
- d. This situation clearly depicts the price pressure on the domestic industry wherein if they don't produce the subject goods their fixed costs will increase substantially and their losses would also increase.

F.2. Submissions made by the other interested parties

28. No other interested party has participated in the investigation and filed any submission with regard to injury alleged to be suffered by the domestic industry and the causal link.

F.3. Examination by the Authority

29. Rule 11 of the Rules read with its Annexure – II thereto provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles*”.

30. As regards the consequent impact of dumped imports on the domestic industry, Para (iv) of Annexure II of the Rules states as under-

"(iv) The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments."

31. Article 3.1 of the WTO Agreement and Annexure-II of the Rules provide for an objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree. For the purpose of current injury analysis, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any.
32. In the absence of information provided by any of the producers/exporters or any other interested party, the Authority has taken note of the data provided by the domestic industry and the information available on record with regard to injury to the domestic industry. The Authority has taken note of the submissions of the domestic industry and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority hereunder *ipso facto* addresses all the concerns raised.

F.3.1. Volume Effect of dumped imports and impact on domestic industry

i. Assessment of Demand/ Apparent Consumption

33. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from the DGCI&S.
34. Demand has been determined as the sum of domestic sales of all the domestic producers and the imports from all the countries. The apparent demand/consumption of the subject goods shows a positive trend throughout the injury period as can be seen from the table below:

Particulars	UoM	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (POI)
Imports from Singapore	MT	539	918	292	801
Trend	Indexed	100	170	54	149
Imports from Other Countries	MT	14449	15794	19460	18098
Trend	Indexed	100	109	135	125
Total Imports	MT	14988	16711	19753	18898
Trend	Indexed	100	111	132	126
Total Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	115	135	162
Total Demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	133	134

35. The Authority notes that the demand of the subject goods has increased from *** MT in the base year to *** MT in the POI. It may be seen that the domestic production has increased substantially over the years. It is the claim of the applicant that this is primarily on account of the fact that the imposition of anti-dumping duties from certain sources has helped the applicant to increase its production and performance and, at the same time, the restoration of fair competition in the market has led to the establishment of another producer in the country.

ii. Import Volume and Market Share from Singapore

36. The below-mentioned table provides details of the volume of imports and share of the subject country in the total imports and demand in India.

Year	UoM	2016-2017	2017-2018	2018-2019	POI
Imports from Singapore	MT	539	918	292	801
Trend	Indexed	100	170	54	149
Imports from Other countries	MT	14449	15794	19460	18098
Trend	Indexed	100	109	135	125
Total Imports	MT	14988	16711	19753	18898
Trend	Indexed	100	111	132	126
% Share of Imports					
Subject country	%	3.60%	5.49%	1.48%	4.24%
Trend	Indexed	100	153	41	118
Other Countries	%	96.40%	94.51%	98.52%	95.76%
Trend	Indexed	100	98	102	99
Total Demand (MT)	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	133	134
% Share in Demand					
Subject country	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	151	41	111
Other Countries	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	97	102	93

37. It is noted that the volume of imports from the subject country has shown increase in absolute terms in the POI as compared to the base year and the preceding years. It is noted that share of subject imports in consumption/demand in India also increased in the POI as compared to the base year and the preceding year.

iii. Imports in relation to production

38. The share of imports from the subject country in the production has increased from 4.9% in the year 2018-19 to 12.9% in the POI.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Imports from subject country	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	170	54	149
Domestic production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	131	150	171
% Share of subject country in production	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	129	36	87

39. From the above, it is noted that the imports have increased in absolute terms.

F.3.2. Price effect of the dumped imports on the domestic industry

40. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact of imports on the prices of the domestic industry has been examined with reference to the price undercutting, price suppression and price depression, if any.

i. Price Undercutting

41. To determine the price undercutting, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex-factory level.

Particulars	UoM	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Landed value from Subject Country	Rs/MT	382826	358516	418865	388606
Trend	Indexed	100	94	109	102
Domestic selling price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	105	104
Price Undercutting	Rs/MT	(***)	(***)	(***)	(***)
Price Undercutting	%	(***)	(***)	(***)	(***)
Price Undercutting	Range	(20) - (10)	(10) - 0	(20) - (10)	(20) - (10)

42. The Authority notes that the landed value from Singapore is above the selling price of the domestic industry in the POI and thus the price undercutting by imports from Singapore was found to be negative in the POI. However, the imports are not at dumped prices.

ii. Price suppression/depression

43. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices or whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree and prevent price increases which otherwise would have occurred, the Authority considered the changes in the costs and prices and landed value over the injury period.

Particulars	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Landed value from Subject Country Rs/MT	382827	358516	364530	388606

Trend	100	94	95	87
Domestic selling price Rs/MT	***	***	***	***
Trend	100	104	105	104
Cost Rs/MT	***	***	***	***
Trend	100	109	116	102

44. As can be seen from the Table above, the landed value from Singapore has dropped in the POI. As regards the domestic industry, both costs and prices have gone up in comparison to the base year. The declining prices from Singapore are also lower as compared to the prices from other sources. The prices of the domestic industry are suppressed / depressed on account of the low-priced imports from the subject country. However, the imports from Singapore are not at dumped prices.

F.3.3. Economic parameters relating to the domestic industry

45. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.
46. Accordingly, various economic parameters of the domestic industry are discussed herein under:

i. Production, sales & capacity utilization

47. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity and capacity utilization is as follows:

Particulars	UoM	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Capacity (MT)	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	140	220	220
Total Production (MT)	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	131	150	171
Capacity utilization (MT)	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	68	78
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	115	135	162

48. The Authority noted that the capacity, production and capacity utilization of the domestic industry has increased in the POI as compared to the preceding year.

ii. Market share of imports

49. Market share of alleged dumped imports and domestic industry have been examined as below:

Particulars	UoM	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Total Demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	133	134
Total Domestic Sales	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	102	121
Singapore	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	151	41	111

Other Countries	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	97	102	93

50. It is noted from the above that the apparent consumption for the product under consideration has increased over the injury period. The imports from Singapore in comparison to the total demand in India have also increased in the POI as compared to the preceding year.

iii. Profits, Return on Investment and Cash Profit

51. Performance of the domestic industry with regard to profits, return on investment and cash flow is as follows:

Particulars	UoM	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	115	135	162
Sales value (Rs. Lacs)	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	120	142	168
Selling price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	105	104
Cost	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	138	155	167
Cost	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	120	115	103
Profit/loss per unit	Rs./MT	(***)	(***)	(***)	(***)
Trend	Indexed	100	786	519	92
Capital employed	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	116	118	124
ROCE	%	(***)	(***)	(***)	(***)
Trend	Indexed	100	782	591	120
Cash Profit	Rs. Lacs	***	(***)	(***)	***
Trend	Indexed	100	(62)	(5)	144
Cash Profit	Rs. /MT	***	(***)	(***)	***
Trend	Indexed	100	(54)	(4)	89

52. It is noted that the losses of the domestic industry have come down in the POI. It is claimed by the domestic industry that the high losses in the year 2018-2019 were on account of the high raw material prices which the industry could not pass on to their customers in view of the fact that the import prices from Singapore and other countries prevented them from increasing their prices in tandem with the increase in raw material prices.

iv. Inventories

53. Inventories with the domestic industry is as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Inventories	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	258	186	263

54. It is noted that the inventory available with the domestic industry increased substantially during the POI.

v. Employment and Productivity

55. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below:

Year	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	131	150	171
Employees	Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	117	120
Production/employee	MT/Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	129	143
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	110	121	143
Production/employee	Rs/Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	104	119

56. It is noted that:

- Productivity has increased in the POI as compared to the preceding years.
- The number of employees engaged by the domestic industry has increased throughout the injury investigation period.

vi. Magnitude of dumping

57. Magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumped in India and are consequently causing injury to the domestic industry. It is noted that the dumping margin from the subject country is negative.

vii. Growth

58. It is noted that the parameters such as profits, profit before interest, return on capital employed, market share were adverse even in absolute numbers. Despite the growth in terms of production and domestic sales, the domestic industry continues to incur losses.

Injury Margin

59. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in Anti-Dumping Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the practicing accountant for the period of investigation. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production.

60. Since none of the producer / exporters have participated, landed price for Singapore has been determined from the DGCI&S data for the purpose of injury margin determination. Applicable customs duties have been added to determine landed price of imports.

61. Based on the landed price and NIP determined as above, the injury margin for producers/exporters calculated by the Authority is provided in the table below:

Injury Margin Table

Particulars	Non-Injurious Price (US\$/MT)	Landed Value (US\$/MT)	Injury Margin US\$/MT	Injury Margin (%)	Injury Margin % (Range)
All Producers/Exporters from Singapore	***	5,425.19	***	***	0-10

Analysis on Injury

62. It is noted that the examination of the imports of the subject product from the subject country shows that though the imports are undercutting the prices of the domestic industry; imports are also suppressing the prices of the domestic industry and the domestic industry has suffered losses but this is not on account of the dumped imports.

G. CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

63. Having examined the existence of material injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, in terms of its price undercutting, underselling and price suppression, and depression effects, other indicative parameters listed under the Rules have been examined by the Authority to see whether any other factor, other than the dumped imports, could have contributed to injury to the domestic industry.
64. The Authority has noted other factors listed under the Rules, which could have contributed to injury to the domestic industry, for examination of causal link between dumping and material injury to the domestic industry as under:
65. The listed known factors have not caused injury, as is seen from the following:
- a) The imports of subject goods from sources other than the subject country are below de-minimis or are subject to anti-dumping duties.
 - b) There is no contraction in demand for the products under consideration in India.
 - c) The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Therefore, changes in the pattern of consumption cannot be considered to have caused injury to the domestic industry.
 - d) There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the domestic industry.
 - e) Technology for production of the product concerned has not undergone any change. Thus, developments in technology cannot be regarded as a factor of causing injury to the domestic injury.
 - f) Productivity of the domestic industry has increased in the period of investigation as compared to the base year. Therefore, productivity is not a cause of injury to the domestic industry.
 - g) The domestic industry is not exporting the subject goods. Therefore, injury caused is only because of domestic operations.
 - h) The Authority has considered data for the domestic operations only for the injury analysis. Therefore, the export performance is not the cause for the injury to the domestic industry.

Conclusion on Causal Link

66. As per the assessment of all the information available on record, it is noted that:
- a) The imports are undercutting the prices of the domestic industry but not due to dumped imports. The dumping margin is negative.
 - b) The growth of the domestic industry became negative in terms of number of price related economic parameters like profit, return on capital employed and cash profits, etc. but not as a direct result of the dumped imports. The dumping margin is negative.

H. POST DISCLOSURE STATEMENT

67. The domestic industry is the only one which has filed the petition and participated in the investigation. Vardhman Textiles is the only other interested party which has submitted that since the subject goods having brand name as “Lycra®” are excluded from the scope of the PUC in the disclosure statement, it should be confirmed in the final findings. The domestic industry has commented on the disclosure statement issued by the Authority. Most of these comments are repetitive and have already been addressed by the Authority. However, for the sake of clarity, their submissions have been summarised and again addressed as below:
- a) It is submitted that the disclosure statement issued by the Authority cannot be said to be issued in terms of Rule 16 of the AD Rules.
 - b) It is submitted that the detailed NIP workings along with linked files have not been provided to the domestic industry. This has severely prejudiced the interests of the domestic industry and the same is also against the principles of natural justice.
 - c) The Authority has not provided any reason for using different production numbers as submitted by the domestic industry. The Authority has wrongly regrouped / reclassified finished goods WIP, stocked at trolley in plant (shown as part of FG inventory) as raw material. The Authority has not provided any opportunity or reason for non-consideration of the same. Since it has direct impact on the computation of NIP and CNV, we humbly request the Hon’ble Authority to kindly correct the same.
 - d) The Authority has considered the installed capacity of the company as *** MT per annum despite extensive evidence submitted by them that the actual installed capacity is *** MT only. The capacity of *** MT is on the assumption that the company produces only one variant of the PUC i.e., 70 Deniers. The

Authority's proposal to take *** MT as the annual capacity essentially implies that the capacity of the plant should be determined on the assumption that they can and should produce only one Denier or variant. Such an approach will lead to an absurd situation.

- e) It is submitted that the current practice of calculating constructed normal value would be rewarding for non-cooperative exporters as it is being assumed that all the producers in Singapore during POI are operating at best capacity utilisation and best raw material and utility consumption norms.

H.1 Examination by the Authority

68. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the interested parties and notes that some of the comments are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.
69. As regards the various submissions made by the domestic industry on the insufficient disclosure of NIP and argument on the modification of the capacity, production, regrouping/disallowance of certain expenses while computing the NIP, the Authority notes that each element of the cost in the NIP along-with the capacity considered for optimization has been disclosed vide email dated 27th August, 2021. As regards the capacity, the domestic industry has provided the certificate dated 11.10.2018 of installed capacity issued by the Department of Industries, Government of Himachal Pradesh and approval of the Board of Directors of the domestic industry dated 05.09.2016. On the website of Indorama Industries (<https://www.indorama.com/affiliated-companies/indorama-industries-limited>) also, the installed capacity of *** MT has been mentioned. Therefore, the capacity of *** MT per annum has been considered in the NIP workings. However, the domestic industry has submitted that the Authority need not consider these aforesaid documents as its increased installed capacity is based on different assumption and its real installed capacity is different. The domestic industry has also submitted subsequent Board resolution dated 10th August, 2021, which stated the achievable and the practical capacity of *** MT. However, it is the practice of the Authority to consider the installed capacity and not the achievable and the practical capacity. The domestic industry was requested several times to provide supporting documents like internal project report, capacity evidence submitted to any other authority, 3rd party project report submitted to any bank, technical evidence for different assumptions and other documents to substantiate its claim. However, the domestic industry could not provide any evidence. Accordingly, the capacities mentioned in the certificate issued by the Department of Industries (Government of Himachal Pradesh) and also supported by the domestic industry's own Board of Directors approval has been considered for working out the NIP on the basis of the best available facts and in terms of Rule 6(8) of the ADD Rules.
70. As regards the argument raised by the domestic industry regarding the computation of the constructed normal value, the Authority notes that the normal value has been constructed as per the consistent practice of the Authority. The Authority has normalised the actual cost incurred by the domestic industry due to inefficient utilisation of raw materials, utilities and capacity to arrive at cost of production for the purpose of normal value calculation. Further, a reasonable amount of profit is also added to determine the constructed normal value as per the consistent practice followed by the Authority.

I. CONCLUSION AND RECOMMENDATION

71. After examining the submissions made by the interested parties and the issues raised therein and considering the facts available on record, the Authority concludes and recommends that the dumping margin from Singapore is negative. The Authority, therefore, terminates the present investigation in terms of Rule 14(c) of the Anti-Dumping Rules.

J. FURTHER PROCEDURE

72. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the appropriate forum.

ANANT SWARUP, Designated Authority